लोक सुनवाई का विवरण

विषयः– भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथा संशोधित के तहत् मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा ग्राम–खरोरा, नहरडीह, केसला एवं बारडीह, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित केसला II (क्षेत्र–357.067 हेक्टेयर) के लाईम स्टोन क्षमता–3.0 मिलियन टन/वर्ष, टॉप स्वाईल क्षमता–0.15 मिलियन टन/वर्ष, मिनरल रिजेक्ट एवं वेस्ट क्षमता– 0.85 मिलियन टन/वर्ष, (टोटल एक्सवेसन क्षमता–4.0 मिलियन टन/वर्ष), क्रशर क्षमता–1000 टन/घंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.01.2020 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा ग्राम–खरोरा, नहरडीह, केसला एवं बारडीह, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित केसला II (क्षेत्र–357.067 हेक्टेयर) के लाईम स्टोन क्षमता–3.0 मिलियन टन/वर्ष, टॉप स्वाईल क्षमता–0.15 मिलियन टन/वर्ष, मिनरल रिजेक्ट एवं वेस्ट क्षमता– 0.85 मिलियन टन/वर्ष, (टोटल एक्सवेसन क्षमता–4.0 मिलियन टन/वर्ष), क्रशर क्षमता–1000 टन/घंटा बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लोक सुनवाई कराने हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया था। दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर तथा टाईम्स ऑफ इंडिया में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 24.01.2020, दिन–शुक्रवार को समय दोपहर 03:00 बजे, स्थान–परियोजना स्थल स्पोर्ट्स स्टेडियम उप तहसील कार्यालय खरोरा के पास, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में लोकसुनवाई नियत की गई थी। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को भी प्रेषित की गई व तामिली भी ली गई।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 24 जनवरी 2020 को श्री विनीत नंदनवार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ. एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधी एवं लगभग 250 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 03:30 बजे प्रारंभ हुई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 1 से 4 तक)
3. डॉ. एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर महोदय से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की गयी तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया।

5. श्री प्रमोद द्विवेदी, परियोजना प्रमुख द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई :–

श्री प्रमोद द्विवेदी, परियोजना प्रमुख ने बताया गया कि डालमिया सीमेंट समूह भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादकों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में श्री जय दयाल डालमिया ने की थी। डालमिया सीमेंट का पहला प्लांट सन् 1939 में तमिलनाडु के डालमिया में स्थापित किया गया था। इस प्रकार 80 वर्षों की विशेषज्ञता का अनुभव है। वर्तमान में तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, झारखंड, असम, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में सीमेंट प्लांट है। मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की कुल सीमेंट उत्पादन की क्षमता 26 मिलियन टन है। केसला– II के नाम से छत्तीसगढ़ शासन ने एक चूना पत्थर खदान की नीलामी किया था, जिसमें डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड ने उच्चतम बोली लगाकर केसला– II ब्लॉक को हासिल किया है। उत्पादन क्षमता अतंर्गत केसला– II चूना पत्थर ब्लॉक हेतु खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ ने इस चूना पत्थर ब्लॉक के लिए 22 जून 2006 को मनसा पत्र जारी किया था। इसके बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने केसला– II चूना पत्थर ब्लॉक के लिए टी.ओ.आर. दिनांक 08.06.2018 को प्रदान किया गया। इसके बाद इसका माइनिंग प्लान तैयार किया गया। दिनांक 29.08.2018 को अनुमोदन किया गया। यह परियोजना ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड चूना पत्थर खदान है, जिसमें चूना पत्थर उत्पादन की क्षमता 03 मिलियन टन प्रतिवर्ष, कुल उत्खनन क्षमता 04 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। खनन भूमि का क्षेत्रफल 357.067 हेक्टेयर है, जो कि ग्राम खरोरा, केसला, नहरडीह, और बरडीह में स्थित है, बताया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति स्थिति अतंर्गत सर्वप्रथम दिनांक 30 जनवरी 2018 को पर्यावरण, वन मंत्रालय में आवेदन किया गया। तत्पश्चात् विशेष मूल्यांकन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया गया। विशेष मूल्यांकन द्वारा स्वीकृति के पश्चात् टीओआर पत्र 08 जून 2018 को जारी किया गया, जिसके आधार पर आधारभूत अध्ययन और डेटा संग्रहण पश्चिम मानसून ऋतु अक्टूबर से दिसंबर 2018 के अंतर्गत किया गया था, जिसके आधार पर ड्राफ्ट एवं रिपोर्ट का निर्माण किया गया था। लोकसुनवाई कराने के लिए छत्तीसगढ़ संरक्षण मंडल में यह दस्तावेज 23 अक्टूबर 2019 को जमा किया गया। अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति यह है कि केसला– II ब्लॉक से निकटतम गांव नहरडीह जो कि 300 मीटर पूर्व दिशा में है। निकटतम हाईवे और अन्य सड़क मार्ग खटिया से खरोरा तक है, वह माइनिंग लीज के अंदर से होकर गुजर रही है, तिल्दा से सिमगा रोड है, आरंग रोड है, एनएच 30 यहां से 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर है। यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन बैकुण्ठ, सिलयारी एवं तिल्दा रेलवे स्टेशन है। निकटतम हवाई अड्डा रायपुर है। केसला– II चूना पत्थर ब्लॉक के 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, जंगली जीव, वन्य जीव और बाघ हाथी, रिजर्व नहीं पाया गया है। आरक्षित और संरक्षित वन में दो संरक्षित वन खोलीडबरी और मोहरेंगा पाए गए हैं। परियोजना के 10 किलोमीटर के त्रिज्या क्षेत्र में जल निकाय के

लिए यहां पर कुछ टैंक है, कुछ नाले हैं और नहर भी हैं, कुछ मौसमी जलाशय भी यहां पर पाए गए हैं, बताया गया तथा अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति को दर्शाता हुआ चित्र मानचित्र में प्रदर्शित किया गया।

परियोजना की आधारभूत आवश्यकता एवं लागत अतंर्गत परियोजना की आधारभूत आवश्यकताओं में कुल 100 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी जिसे माईन पीट और भूजल से लिया जायेगा। इस कार्य हेतु 72 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिसे आसपास के स्थानीय और भूमि मालिकों को प्राथमिकता दिया जायेगा। 03 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी जो राज्य बिजली बोर्ड से लिया जाएगा। भूमि की खनन पट्टा क्षेत्र हेतु 357.07 हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। कूल परियोजना की लागत 22,497 लाख रुपए होगी। पर्यावरण संरक्षण उपाय हेतु पूंजीगत लागत 160 लाख रुपए और आवर्ती लागत 57 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। आसपास के क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु कंपनी द्वारा 388 लाखं रुपए आबंटित किए गए हैं, बतायाा गया प्रस्तावित खदान केसला– II चूना पत्थर ब्लॉक का नक्शा मानचित्र में प्रदर्शित किया गया। सड़क जो माइनिंग क्षेत्र से गुजर रही है, उसे किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा प्रबंधन के द्वारा सड़क के 50 फीट सेफ्टी बैरियर दोनों तरफ छोड़कर उपयोग किया जाएगा प्रबंधन के द्वारा किसी भी मार्ग में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। केसला– II चूना पत्थर ब्लाक में कुल खनन योग्य भंडार 75.168 मिलियन टन है। खनन पट्टा की वैधता 50 वर्ष है, बताया गया। खनन की प्रक्रिया अतंर्गत सबसे पहले ड्रिलिंग होती है, कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है फिर रिजेक्ट को अलग किया जाता है और चूना पत्थर का उत्खनन किया जाता है। उसको एसकेवेटर के माध्यम से डंफर और लोडर द्वारा लोडिंग की जाती है और फिर उसको क्रश करके सीमेंट प्लांट में कव्हर्ड कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से सीमेंट निर्माण हेतु भेजा जाता है। परियोजना क्षेत्र के जलवायु को पश्चिम मानसून ऋतु में अध्ययन किया गया और 03 महीने के अंतराल में यह देखा गया कि यहां का तापमान सापेक्षित आर्द्रता, वायु की गति उत्तर–पूर्व दिशा की ओर थी, की जानकारी दी गई।
परियोजना का आधारभूत अध्ययन अतंर्गत आधारभूत अध्ययन के दौरान वायु, ध्वनि, मृदा आदि का विश्लेषण किया गया, सैंपल एकत्रित किये गये मानचित्र में दिखा गया। पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन में व्यापक वायु, ध्वनि, सतही जल की मृदा की सैंपलिंग की गई और सभी पैरामीटर को विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के बाद यह देखा गया कि यहां पर जितने भी पैरामीटर हैं वह पर्यावरण, वन मंत्रालय और सीपीसी के मानकों की भीतर हैं। वन्यजीव संरक्षण योजना हेतु प्रस्तावित परियोजना के साथ–साथ एक योजना के साथ संवर्धन योजना बनाई गई है, जिसके लिए कंपनी ने 49.05 लाख रुपए निर्धारित किए हैं और इस परियोजना को अनुमोदित कराने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर को प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित खनन पट्टा का प्रभाव देखने के लिये व्यापक वायु गुणवत्ता माडलिंग की गई। प्रस्तावित सीमेंट प्लांट और केसला– II चूना पत्थर ब्लाक दोनों के आपरेशन से होने वाले प्रभाव को माडलिंग के माध्यम से देखा गया और यह पाया गया कि प्रस्तावित परियोजना से होने वाले प्रभाव सीपीसी के मानक के भीतर पाये गये हैं। कंपनी के द्वारा चूना पत्थर निकालने के साथ–साथ पर्यावरण का भी विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिसके लिये एक प्रबंधन योजना बनाई गई है। वायू प्रदूषण प्रबंधन के लिये कंपनी द्वारा जो काम किये जायेंगे उसके लिये सबसे पहले उत्खन्न प्रकिया अनुसार जैसे ड्रिलिंग में धूल उत्सर्जन को कम करने हेतु ड्रिल बिट्स का इस्तेमाल किया

जायेगा। नियंत्रित ब्लास्टिंग के पहले पानी का छिड़काव किया जायेगा एवं लोडिग अनलोडिंग के पूर्व पानी का छिड़काव किया जायेगा। कव्हर्ड कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से परिवहन के समय भी पानी का छिडकाव किया जायेगा और चुना पत्थर के परिवहन मे कवर किये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से किया जायेगा, बताया गया।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजना अतंर्गत कंपनी में उपयोग होने वाली सभी मशीनों का उचित रख–रखाव किया जायेगा और यहां की आंतरिक सडकों पर नियमित रूप से पानी का छिडकाव किया जायेगा ताकि धूल का उत्सर्जन न हो। क्रशिंग के दौरान धूल उत्सर्जन को रोकने हेतु पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय जैसे– बैग फिल्टर वाटर मिस ड्राय आफ सिस्टम आदि यहां स्थापित किये जायेंगे। अन्य जो सीपीसी और सीएसबी के दिशा–निर्देश अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके साथ ध्वनि प्रबंधन के लिये उपाय प्रस्तावित किये गये है जैसे ड्रिलिंग के साथ ड्रिल बिट्स का उपयोग, ब्लास्टिंग के लिये नियत्रित ब्लास्टिंग को दिन में ही किया जायेगा। कार्यरत् कर्मचारियों को सुरक्षा समाग्री प्रदान किये जायेंगे और समय–समय पर ध्वनि की निगरानी, विश्लेषण किया जायेगा की जानकारी दी गई। जल गुणवत्ता प्रबंधन अतंर्गत जल गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कंपनी द्वारा खनन पटटा के बाहर किसी भी प्रकार का जल छोडा नही जायेगा यहा के अवशेष जल को पौधारोपण और हरित पट्टिका हेतु उपयोग किया जायेगा तथा मशीनरी वर्कशॉप से निकलने वाले जल को धूल धमन करने हेतु डाला जायेगा बताया गया।

परिकल्पना स्थल का उपयोग– खनन पूर्ण होने के बाद खनन स्थल को जलाशय के रूप परिवर्तित किया जायेगा। खनन में सबसे पहले मिट्टी निकलेगी उसे एकत्रित कर उसे पौधा रोपण हरित पट्टिका हेतु उपयोग किया जायेगा। ठोस अवशिष्ट ओब्योजर अपशिष्ट को चिन्हित स्थानों पर रिटर्निंग दीवार बनाकर संग्रहित किया जायेगा। हरित पट्टिका विकास के लिये खनन की समाप्ति पश्चात 121 हेक्टेयर क्षेत्र जो खनन हेतु प्रस्तावित है उसमें से 30 हेक्टेयर को बैकफिल्ड किया जायेगा और लगभग 91 हेक्टेयर को को जलाशय में परिवर्तित किया जायेगा। लगभग 43 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन के दौरान 86,000 पौधे लगाये जायेंगे। सीपीसी के निर्देशानुसार स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाये जायेंगे। परिकल्पना स्थल पर भूमि का उपयोग 120 हेक्टेयर क्षेत्र में माईनिंग होगा तथा 13 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित पट्टिका विकास होगा की जानकारी दी गई।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अतंर्गत कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु कंपनी प्रतिबद्ध है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में उपकरणों का उचित रख–रखाव एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा। चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रारंभिक आवधिक चिकित्सा निरीक्षण आयोजित किये जायेंगे और समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जायेगा। व्यावसायिक स्वास्थ एवं सुरक्षा के उपाय के संबंध में सभी उपकरण है, उसे दिशा–निर्देश के साथ रख–रखाव और प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस हेतु कंपनी द्वारा 12 लाख रूपये वार्षिक आबंटित किया है, जिसमे कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन हेतु 160 लाख रूपये प्रतिवर्ष और आवर्ती लागत 57 लाख रूपये प्रतिवर्ष आबंटित किया है। वन्य जीव संरक्षण हेतु कंपनी ने 49.50 लाख रूपये आबंटित किया है, बताया गया।

लीज क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भूमि क्रय की प्रक्रिया अतंर्गत केसला– II चूना पत्थर ब्लाक के खनन क्षेत्र की जमीन के क्रय हेतू भू–स्वामी के साथ आपसी समझौते, बैठकर उत्तम दर पर खरीदने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी ने जमीन की खरीद के तहत दिये जाने वाले

मुआवजों और सुविधाओ का प्रावधान रखा है। भूमि क्रय में पूर्णतः पारदर्शिता रखी जायेगी। भूमि मालिकों को भूमि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा और यह भी प्रस्तावित है कि खनन क्षेत्र के भीतर की भूमि को एकमुश्त क्रय न कर खनन प्रकिया के आवश्यकतानुसार चरणबद्ध क्रय किया जायेगा। पहले चरण में योजना अवधि के पहले 10 से 15 वर्षो के लिए आवश्यक भूमि का क्रय किया जायेगा। बाद में अगले 10 वर्षो में क्रय किया जायेगा। इसके लिये एक विवाद निवारण प्रणाली भी स्थापित की जायेगी जिसमे भूमिधारक अपने शिकायत हेतु कंपनी से संपर्क कर सके ताकि उनके समस्याओ का निराकरण समयबद्व तरीके से किया जा सके, बताया गया। परियोजना के द्वारा विभिन्न मदों में व्यय–कंपनी लाईमस्टोन का उत्खनन करने के साथ–साथ सीईआर गतिविधि के माध्यम से यहां पर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये पूरी तरह प्रतिबद्व रहेगी। इस खदान परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से 71 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा, जिसमें आसपास के स्थानीय बेरोजगार और भूमि के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जायेगी। केशला– II खदान परियोजना के लिए 3.88 करोड रूपये और एकीकृत सीमेंट परियोजना हेतु 17 करोड रूपये सी.ई.आर. गतिविधियों के अंर्तगत आबंटित किये गये है। इस प्रकार 20.88 करोड रूपये सीएसआर गतिविधियों के लिये लगाये जायेंगे यहॉ के समाजिक और आर्थिक विकास के लिये लगाये जायेंगे। कंपनी के द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना में मृदा और जल सरंक्षण, स्वच्छ उर्जा, आजिविका कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक विकास के लिये यहॉ पर काम किया जायेगा जिसके लिये 388 लाख रूपये बजट का आबंटन रखा गया है, जिसमें जन सुनवाई के शिकायत होगे उसे भी शामिल किया गया है जिसे अपडेट किया जायेगा। सीईआर के लिये प्रस्तावित योजना में कंपनी स्थानीय व्यक्तियों के साथ पहले वार्ता कर सुझाव के साथ साझा करेंगे कि किस प्रकार योजना को अमल में लाया जाये। तत्पश्चात् चरणबद्व तरीके से अमल में लाया जायेगा, बताया गया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जन सामान्य से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अपना अभिमत/दावा आपत्ति मौखिक तथा लिखित ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। तत्पश्चात् उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री घनाराम नसीने (ग्राम–खरोरा) ने कहा कि मै अपनी बात रखने आपके सामने उपस्थित हुआ हूॅ। सबसे पहले तो जो खदान आ रही है, उसे गड्ढा करने के लिये 50 साल के लिये सरकार से ले लिये हैं। मतलब हमारी जमीन को सरकार ने बेच दिया है, लेकिन ये लोग नही बता रहे हैं, कि जमीन का रेट कितना रखे हैं। ये कह रहे हैं कि सबकी सुविधा के लिये अस्पताल बनायेंगे पर्यावरण प्रदूषण हटा देंगे। लेकिन मेन बात यह है कि इम्प्लॉय सिर्फ 72 लोगो को दे रहे हैं, जबकि किसानों की 300 से 350 हेक्टेयर जमीन लेंगे। मैं डॉलमिया के अधिकारियों से जानना चाहता हूॅ कि ये प्रति एकड़ जमीन का रेट क्या रखे हैं? जमीन को एकमुश्त लेंगे या किश्तों में खरीदेंगे? माईन्स के लिए जमीन मे गढ्ढे करने से उस क्षेत्र के 50 से 100 एकड भूमि मे कृषि नही होगी। सारा पानी माईन्स मे चला जावेगा क्योंकि मै 45 साल से खेती से जुडा हुआ हूॅ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं

पश्चिम का पूरा पानी माइन्स मे चला जावेगा। और आप कहते है कि वॉटर लेवल बना रहेगा। वहां जहां धान बोते है तिल्हन व अन्य फसल भी नही बचेगी। आप कहते हैं हमारी जमीन खरीदी 10 साल तक चलेगी, रेट अभी नही बता पायेंगे तो क्या किसान को बैठा कर रेट तय करेंगे। आपने 4 गांव चिन्हाकित किया है खरोरा, केसला, बरडीह एवं नहरडीह तो मेरा निवेदन है कि यदि किसी किसान की 13 एकड जमीन है और आप 10 एकड जमीन लेते है तो क्या उस 3 एकड जमीन का समायोजन करेंगे या ऐसे ही छोड देंगे। ऐसे ही छोड देने पर इस 3 एकड़ जमीन मे पानी भर जायेगा और किसान कटोरा लेकर भीख मांगेँगा।

2. श्री सुनंदा रेडडी ने कहा कि मैं डालमिया सीमेन्ट का अभिनंदन कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ मैं अपनी बात को लिखित में दे रहा हूँ।

3. श्री वेदराम मनहरे ने कहा कि मै डालमिया सीमेन्ट कम्पनी का स्वागत कर रहा हूँ क्योकि जो हमारे युवा है उनको नौकरी मिलेगी साथ मे सुविधा मिलेगी। फिर हमारे छोटे छोटे बच्चो को पढ़ने के लिये स्कूल मिलेगा इसलिये मै डालमिया कम्पनी का स्वागत करता हूँ।

4. श्री निलेश गोयल ने कहा कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि, जो कम्पनी केसला–II में आ रही है, उसमे केसला, खरोरा, नहरडीह कि कितनी जमीनें प्रभावित हो रही है, इसकी स्पष्ट जानकारी आप लोगों द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। एक संशय की स्थिति बनी हुई है, कि केसला के बीच बस्ती से एक सड़क का निर्माण किया जायेगा, ऐसा सुना है तो इसे स्पष्ट करने का कष्ट करें।

5. श्री गुहाराम साहू, (ग्राम नहरडीह) ने कहा कि मै कंपनी मैनेजर से जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मान लो मेरी 10 एकड़ जमीन कही पर आती है और उसमें से 02 एकड़ जमीन इनकी परिधी में आती है, उसे ये खरीदेंगे तो बाकी की किनारे की जमीन मे मैं खेती नही कर पाउँगा तो इस स्थिति में मुझे आप क्या बेनिफिट देंगे मैं यही जानना चाहता हूँ।

6. श्री प्रदीप मढ़रिया ने कहा कि मै इस कंपनी का स्वागत करता हूँ यहां आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय रोजगार के सुविधा मुहैया करायें। हमारे स्थानीय युवाओ को रोजगार मिले। सबसे पहले जिनकी जमीन निकल रही है उनको पहले रोजगार दे उसके बाद बाहर के लोगो को दें। बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास हो और आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के अंदर के गांवो को गोद लें और उस गांव कि शिक्षा में सुधार करें।

7. श्री भेकलाल साहू ने कहा कि हमारे गांव का बहुत सारी जमीन खनन क्षेत्र में आ रही है लेकिन खनन क्षेत्र में एक जलाशय है जिसके पानी से हमारे गांव वाले खेती–बाड़ी करते हैं और उसकी क्या व्यवस्था करेंगे ? बाकी बची जमीन में हमको खेती–बाड़ी करना है सिंचाई का साधन ऊपर में है उसका क्या उपाय करेंगे मै ये जानना चाहता हूँ?

8. श्री जुबैर अली, (पार्षद नगर पंचायत खरोरा) ने कहा कि डालमिया ग्रुप यदि आश्वासन देती है कि क्षेत्रीय युवाओ को रोजगार उपलब्ध करायेगी तो हम सभी लोग डालमिया ग्रुप का स्वागत करते है मेरी जो अगली बात है वह कंपनी प्रबंधन से नही बल्कि यहां बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों से है अभी कुछ देर पहले एक भाई ने हिन्दु मुस्लिम की बात कही, मेरा ये निवेदन है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं बड़े ओहदो पे बैठे हैं यही से आप सामाजिक समरसता का संदेश दें, आपको हमारी हिन्दुस्तान की गंगा जमुना, तहजीब की बात बतानी चाहिये। एक मुस्लिम होने के नाते मुझे दुख हुआ जब मैने यहा बात सुना, आप लोग अगर ऐसी बातों का विरोध नही करेंगे तो हम लोग किस स्तर पर कहा तक कर पायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप इस बात कर विरोध करें।

9. जनसमान्य में से एक व्यक्ति ने कहा कि मै कंपनी का स्वागत करता हूॅ, हमारे सभी युवाओं को रोजगार मिलना चाहिये, धोखा नही देना चाहिये।

10. श्री संदीप सोनी ने कहा कि अगर डालमिया ग्रुप यहा प्लांट डाल रही है तो छोटे किसान से लेकर सभी युवा वर्ग सबका साथ सबका विकास हो, सबको साथ लेकर काम करे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूॅ।

11. श्री हरीशचंद्र वैष्णव ने कहा कि मै पर्यावरण के विषय में थोड़ी बात रखना चाहता हूॅ, जिसकी जमीन प्रभावित हो रही है, उसको तो मुआवजा मिल गया है, उनको दिक्कत नही है। वे कंपनी का स्वागत करेंगे। लेकिन प्लांट के बाउंड्री वॉल से लगे खेत में दूसरे खेत से होकर पानी आता है, तो उसकी फसल प्रभावित होती है, उसके लिये आपकी प्रबंधन समिति कुछ राय रखेंगे क्योकि बहुत सारी कंपनियों को मैने देखा है, यहां राईस मिल प्लांट तो खड़ा कर लिये है, लेकिन अपशिष्ट पानी, कचरा बाजू वाले खेत को जाकर प्रभावित करता है। जिसकी जमीन निकल गयी उसका तो अच्छा है लेकिन बाजू वाला खेत प्रभावित होगा, उसके लिये भी कोई कमीटि बनाया जायें जो उसका निरीक्षण कर उनके लिये भी मुआवजे की राशि निर्धारित करे। मै आपकी कंपनी का स्वागत करता हूॅ, पर जो बचे हुये कृषि योग्य खेत हैं उनके लिये भी सिंचाई की उचित व्यवस्था करें।

12. श्री मुकेश भारद्वाज ने कहा कि डालमिया कंपनी से निवेदन है कि जो प्रभावित किसान है उनका आजीवन फिक्सड डिपॉजिट के साथ उसका परमानेंट जीविका के साथ–साथ उसका बीमा करें। कंपनी अपने स्तर पर काम करे किसी प्रकार से क्षेत्रीय ठेकेदार को व्यक्तिगत ठेकेदारी प्रदान न करें। हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले।

13. श्री अरविंद देवांगन ने कहा कि मेरा मुद्दा है स्थानीय रोजगार, प्रभावित जमीन मालिक, सी.ई.आर. मद, पर्यावरण और जल के संबंध में। उत्खनन के संबंध में बात है तो जंहा–जंहा माईनिंग/उत्खनन होता है वहा आस–पास के घरों/मकानों में

केक आ जाता है, तो अगर ब्लास्टिंग होगी तो आस–पास के घर में केक आना है तो इसके लिये एक प्रबंध समिति बनाकर जिसके भी मकान की क्षति होगी उन्हे कम्पनसेशन/मुआवजा दे। उत्खनन में सबसे ज्यादा प्रभावित भूमिगत जल होगा तो डालमिया ग्रुप भूमिगत जल का प्रबंधन अच्छे से करें इसी के साथ आपके कंपनी के इकाई का स्वागत करता हूँ।

14. श्री जोगिन्दर सिंग सलूजा ने कहा कि मै यहां कुछ मुद्दो पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, शासन अपनी बहुत सारे योजनायें देती है और आप सबको साथ लेके चलती है, बड़ी बड़ी कम्पनियों के साथ शासन अपना रिश्ता जोड़कर लोगों को सुविधायें प्रदान करता है। जब आप अपनी फैक्ट्री यहां लगायेंगे तो निश्चित रुप से यहा बड़े बड़े वाहन आयेंगे हमारी सड़के पहले ही बहुत कमजोर है, आपकी बड़ी बड़ी मशीने गाडियां, यंत्र आयेगी तो उनके लिये आप अवैयरनेस कैम्प लगायें क्योकि इससे दुर्धटना बहुत बढ़ती है। आप एम्बुलेंस सेवा, चिकित्सा के क्षेत्र मे भी गंभीरता से काम करें, शासन जो योजनायें देती है वह बहुत है, पर बहुत सारी सुविधायें नही मिल पाती। आप लोगो के आने से हमारा क्षेत्र विकास करेगा पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिसमें जन हानी होगी, जल व वायु प्रदूषण होगा, हर प्रकार की समस्या आती है, तो उसका निदान भी होता है। मै डालमिया ग्रुप से रिक्वेस्ट करुंगा कि कुछ हेल्पलाईन गाड़ियां चलायें, एक्सीडेंट के लिये अवैयरनेस कैम्प लगवायें, गांव के अशिक्षित बच्चियों के लिये सुविधायें उपलब्ध करायें, आप क्षेत्र को इतना अच्छा बनायें कि आपके साथ लोग जुडना चाहें। किसानों के हित की बात भी बहुत जरुरी है, क्योकि वे डालमिया परिवार का हिस्सा बनेंगे क्योकि उनकी जमीन पे आपकी सरपरस्ती खड़ी होगी। किसानों को मुआवजा, रोजगार, सुविधायें मिलनी चाहिये। यहां पर एमिटी यूर्निवसिटी खुली हुई है पर हमे कोई फायदा नही हुआ। जब अडानी जी.एम.आर. आया तो शुरु शुरु में फायदा हुआ अब उनके गेट पर दरबान लग गया है। आप ऐसा कोई भी काम न करे कि गांव का गरीब आदमी जो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, उसे आप इग्नोर कर दे, कृपया इसका ध्यान रखें। सबको साथ लेके आप शासन के दिशा –निर्देशों के अनुसार काम करें।

15. श्री लोमश देवांगन ने कहा कि यहां पर कंपनी जब आयेगी तो स्वाभाविक है यहां के लोगों को रोजगार देगी लेकिन कल ऐसा होगा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता ही नही है कि आप यहां काम करें तो सबसे पहले आप यहां शिक्षा का विकास करें और न कि अपना खुद का स्कूल चलायें बल्कि सरकारी स्कूल का विकास करें, शिक्षा के स्तर का विकास करें। दूसरी बात पानी की है तो पानी के लिये वॉटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करें इससे जल स्तर कम नही होगा।

16. लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि– श्री प्रमोद द्विवेद्वी, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री समीर शर्मा द्वारा आमजनों के माध्यम से प्राप्त सुझाव/आपत्ति के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार उत्तर/जवाब दिया गया:–

- सबसे पहले प्रश्न आया था कि अगर किसी की 10 एकड़ जमीन है तो क्या हम किश्तों मे लेगें ? सीमेंट प्लांट की पचास वर्षो के लिए माईन्स होती है, तो एक ही दिन में पहले साल मे पूरे 50 साल की जमीन नही खरीद पायेंगे, यह संभव नही है। इस कारण चरणबद्व तरीके से जमीन क्रय किया जाना है। यदि किसी किसान की 10 एकड जमीन एक साथ है जो हमारे माईनिंग लीज के अंदर है पूरी 10 एकड खरीदी जायेगी किश्तों मे बिल्कुल नही लेगें एक साथ ली जायेगी।

- आज से जब से भी जमीन की खरीदी चालू होगी तो जमीन खरीदी 20 सालों तक चलेगी। आज से 20 सालों तक जमीन का रेट नही बताया जा सकता है। जिस साल भी जमीन खरीदी जायेगी तो आप लोगों के बीच मे बैठ कर, विचार विमर्श करके बाजार दर व सरकारी दर एवं गाईड लाईन को ध्यान मे रखते हुए जमीन का रेट तय किया जायेगा।एक संतोष जनक रेट देने का प्रयास करेंगे।

- कंपनी एम्बुलेंस की सुविधा देने को राजी है अगर कोई हास्पिटल, थाना या निजी संस्था उसका रख–रखाव कर सके, तो हम भविष्य में उन्हें एम्बुलेंस दे सकते है। हमारा कमिटमेंट है आपके साथ।

- एक सज्जन ने कहा कि जमीन का ऑक्शन हुआ है ऐसा नही है। सरकार से लाईम स्टोन की रॉयल्टी के लिए ऑक्शन हुआ है, न कि जमीन के लिए। जमीन आपकी हैं । हमारे लोग आपके साथ रेट तय करने के लिए बैठेंगे और जो भी रेट तय होगा उसी आधार पर जमीन खरीदी होगी।

- जलाशय के लिए एक बडा कैचमेंट एरिया बनायेंगे रेनवाटर के रिचार्ज के लिए। और कोई भी जलाशय हमारे माईन्स के क्षेत्र मे नही आता है।

- जो भी जमीन हमारे माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर आयेगी उसे पूरा लेंगे। अगर किसी किसान की भूमि, खनन क्षेत्र जहां से खनन शुरू होना है उस क्षेत्र में आती है या खनन क्षेत्र से लगी हुई है और यदि किसान पूरी जमीन बेचने के लिये तैयार है तो उसे किश्तों में नही बल्कि एक साथ क्रय किया जायेगा।

- खनन के पश्चात गडढे में जल भराव होता है, जिससे उस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ता है न कि कम होता है। इस कारण लोग यह संशय ना करें कि खनन से जल स्तर कम होता है।

- खनन कार्य हेतु जमीन कुल 357 हेक्टेयर है जिसमे खरोरा में 232 हेक्टेयर, केशला में 21 हेक्टेयर, नहरडीह में 101 हेक्टेयर और बरडी में 2.5 हेक्टेयर है।

- कंपनी अपने कार्य हेतु अलग से रोड का निर्माण करेगी और पुरानी सडक मे किसी प्रकार से छेडछाड़ नही की जायेगी और कंपनी की गाईड लाईन के अनुसार बस्ती से 300 मीटर और सड़क से 50 फीट छोडकर ही खनन कार्य किया जायेगा। क्षेत्रके नाले प्रभावित नहीं होगें।

- माईनिंग लीज के भीतर आने वाली भूमि को किसान की इच्छा से क्रय किया जायेगा एवं रास्ते की व्यवस्था भी की जायेगी। भू–जल स्तर के संबंध मे सी.जी.

डब्ल्यू.ए. से वॉटर लेवल के संबंध मे अध्ययन कराया जाकर, उनके दिशानिर्देशों का पालन किये जाने के पश्चात माईनिंग कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

- प्रबंधन द्वारा जिस जमीन को क्रय किया जायेगा, उसमें बाउण्ड्रीवाल बनायी जायेगी। अनाधिकृत कब्जा नहीं किया जायेगा।

अंत में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा जनसामान्य को सुझाव एवं आपत्ति होने पर मौखिक एवं लिखित सूचना देने हेतु पुनः कहा गया। यह लोक सुनवाई दोपहर 03:30 बजे आरम्भ होकर दोपहर 04:30 बजे समाप्त हुई। लोकसुनवाई के पूर्व 01 अभ्यावेदन (पृष्ठ संख्या 01 से 16), लोकसुनवाई के दौरान 10 अभ्यावेदन (पृष्ठ संख्या 01 से 33) तथा लोकसुनवाई के पश्चात 01 अभ्यावेदन (पृष्ठ संख्या 01 से 08) प्राप्त हुये। सम्पूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गयी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

उपस्थिति पत्रक

ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, ग्राम–खरोरा, नहरडीह, केसला एवं बारडीह, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित केसला II (क्षेत्र–357.067 हेक्टेयर) के लाईम स्टोन क्षमता–3.0 मिलियन टन/वर्ष, टॉप स्वाईल क्षमता–0.15 मिलियन टन/वर्ष, मिनरल रिजेक्ट एवं वेस्ट क्षमता– 0.85 मिलियन टन/वर्ष, (टोटल एक्सवेसन क्षमता–4.0 मिलियन टन/वर्ष), क्रशर क्षमता–1000 टन/घंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 24.01.2020 का उपस्थिति पत्रक :–

कमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	D.R. VERMA	KHARORA 9826198696	[signature]
2	हेमलाल	मधईपुर	[signature]
3	[illegible]		[signature]
4	नरेश कुमार वर्मा	छाड़िया	[signature]
5	डॉ. हरिश बैरागी	कोलेकर 9926075058	[signature]
6	दीनदयाल	छेडिया	
7	Pawan Kumar Verma	Raikheda	[signature]
8	देवव्रत नायक	Raikheda	[signature]
9	देवराम मनहरे	खरोरा	[signature]
10	अरविन्द देवांगन	खरोरा	[signature]
11	[illegible]	खरोरा	[signature]
12	[illegible]	[illegible]	[signature]
13	परसराम	छडिया	[signature]
14	[illegible] देवांगन	केसला	[signature]
15	नरेन्द्र कुमार [illegible]	[illegible] केसला	[signature]
16	हीरा मंडरे	बारडीह	[signature]
17	Raju Donariya	Kharora 9516007020	[signature]

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
18	राहुल मरकाम	खरौरा 9111194220	Rahul
19	Rupesh Manhare	Khajroja 9669363111	[illegible]
20	Zubair Ali	Kharora	[illegible]
21	इरफान	खरोरा	Shad
22	र. केवी [illegible]	खरोरा	R. [illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	राजेन्द्र साहू	अमसेना	राजेन्द्र साहू
25	भीखम	अमसेना	भीखम
26	कृष्णकांत साहू	अमसेना	[illegible]
27	Meraz Khan	Kharora	[illegible]
28	जयकिशन	खरोरा	जयकिशन
29	कमल कुमार कंडरा	खरोरा	कमल कुमार कंडरा
30	अंकित	खरोरा	अंकित
31	Devendra Kumbhak	Kharora	[illegible]
32	गोलू यादव	खरोरा	[illegible]
33	[illegible] गोस्वामी	रायपुर	[illegible]
34	मोहित [illegible]	खरोरा	[illegible]
35	[illegible] कुमार [illegible]	खरोरा	[illegible]
36	भरत लाल	खरोरा	Verma
37	रूप लाल	केसला	रूपलाल

कमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
38			
39	राजा	अमसेना	राजा
40	दिलीप	अमसेना	दिलीप
41	जगतराम यदु	खरोरा	जगतराम यदु
42	दुर्गेश सिंह राजपूत	अमसेना	[illegible]
43	शिरीष राजपूत	अमसेना	[illegible]
44	महेन्द्र	अमसेना	महेन्द्र
45	यशवंत कुमार साहू	अमसेना	यशवंत कुमार
46	अरुण साहू	अमसेना	अरुण साहू
47	तिलक राजपूत	अमसेना	तिलक
48	बुधारू	अमसेना	बुधारू
49	निलेश गोपाल	अध्यक्ष ग्राम जीव रक्षा स्वास्थ्य खरोरा	[illegible]
50	मनहरण पाल	पथरी	[illegible]
51	Alok Rathore	Hirmi	Rathore
52	कमलेश उपाध्याय	हिरमी	[illegible]
53	Anil Bihar	Kharora	[illegible]
54	सुनील साहू	खरोरा	[illegible]
55	प्रेम तिवारी	रायपुर	[illegible]
56	केशव अग्रवाल	खरोरा (तिल्दा रोड)	[illegible]
57	अशोक अग्रवाल	खरोरा	[illegible]
58	प्रकाश कुमार देवांगन	केसला	[illegible]
59	राजेन्द्र कुमार	नहरडीह	[illegible]
60	भेखलाल साहू	नहरडीह	[illegible]
61	मोहित	नहरडीह	[illegible]
62	बलवंत	नहरडीह	बलवंत
63	संतराम सोनी	नहरडीह	[illegible]
64			

कमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
65	Lalit Sen.	Keshalu Khamei	[illegible]
66	[illegible]	Keshla Kharora	[illegible]
67	Suresh Sharma	Kharora	[illegible]
68	[illegible]	Kharora	
69	Ashwani Roy	Patharpur	[illegible]
70	harbhajan Bhardwaj	Keshla	[illegible]
71	मदन देवांगन पूर्व सरपंच-केसला	केसला	[illegible]
72	विलास सिंह ठाकुर	खरोरा	[illegible]
73	भरत पंसारी	खरोरा	[illegible]
74	संदीप सोनी	खरोरा	[illegible]
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	मुकेश साहू	—"—	[illegible]
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	प्यारेलाल साहू	[illegible]	प्यारेलाल साहू
80	दुर्गेश कुमार	पचरी	[illegible]
81	धनराज साहू	—"—	[illegible]
82	दीपक	—"—	[illegible]
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			